

107
24

पत्रावली बैशा बकीलवादी हात्रि।
तहसीलदार बानारामगढ स विपोर्ट
प्राप्त। शाह मिसल बर्ही आवेदन
प्रक बकील पार्टी बहल सुनी गयी।
बकील पार्टी न निवेदन किया कि
आवेदन में वर्णित भूमियों में बादी का
सही नाम सुवा लाल पुत्र लिखमण
दर्ज किया जावे। पत्रावली में उपलब्ध
दस्तावेज, प्राप्त विपोर्ट का अवलोकन
किया जिससे यह स्पष्ट है कि
सूरजा पुत्र लिखमण व सुवालाल पुत्र

लिखमण दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं
अतः मू. राजस्व आधिकारिक नी धारा
136 में उक्त शक्ति का प्रयोग
करते हुए तहसीलदार डोलारामगढ़ को
आदेशित किया जा रहा है कि वहाँ
ग्राम समर्थपुरा प. ह. डुकिदा तह.
डोलारामगढ़ के स्थान से खाना ७७,
७७ में वाडी सुरजा पुत्र लिखमण
के स्थान पर वाडी का सही
नाम सुवालाल पुत्र लिखमण दर्ज
करने के आदेश दिए जा रहे हैं।
पनावली फ़ैसल ग़ुमाट होकर नम्बर
से कम होकर वाकिल क़स्ब के